

के बिंदु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है- दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते की पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

(2) शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2/2019 दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/2006 दिनांक 9 जनवरी, 2007 के प्रस्तर-4 में दिये गये प्राविधान “यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है” को रिट याचिका संख्या- 11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने संबंधी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01. 2007 से प्रस्तर- 04 को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या- 475/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

(3) ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण-पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं.-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी. - I, दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा।

(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण/आयु मे छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(5) किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो O.T.R. के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएँ O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी।

(6) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें।

(7) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जायेगी।

(8) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

(9) अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. आपात कमीशन प्राप्त /अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु में छूट हेतु):- आपात कमीशन प्राप्त /अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है, भी इस परीक्षा के लिये शासनादेश संख्या-22/10/1976-कार्मिक-2-85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:-
(अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।
(ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अप्‍डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि **(क)** उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो।
(ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं **(ग)** वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिसे ग्रेज्युटी प्रदान की गयी हो।

7. वैवाहिक प्रारिथति:- ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

8. शैक्षिक अर्हता:-

अनिवार्य- किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा या डोयक या नाइलेट सोसाइटी से “ओ” स्तर के डिप्लोमा के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो।

अधिमानी अर्हताएँ- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

कम्प्यूटर सहायक (उ0प्र0 लोक सेवा आयोग) की संगत सेवा नियमावली
★ उ0प्र0 लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा विनियमावली-2006 (यथासंशोधित)
नोट:- आवेदन Submit किये जाने की अंतिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक है।
9. आयु सीमा- (1) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2025 को 18 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात उनका जन्म 02 जुलाई, 1985 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1970 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।
(2) अधिकतम आयु सीमा मे छूट:- (क) उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों तथा उ0प्र0 राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1980 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (ख) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। (ग) उ0प्र0 के

आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि. + 03 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी।

10. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:-

(1) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। **(2)** आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावों की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। **(3)** समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा-3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हों, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। **(4)** आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। **(5)** परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्र के माध्यम सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आर्वटिट केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस संबंध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा। **(6)** कदाशय अर्थात् परीक्षा मे नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024, दिनांक 06 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्नगत परीक्षा में लागू रहेंगे। **(7)** आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, O.T.R. No./ Application ID, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। **(8)** नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। **(9)** केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्यरत अभ्यर्थी अपने सेवा योजक से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र अवश्य संलग्न करें। **(10)** ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिये निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। **(11)** अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक को भरने में केवल ब्लैक बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें। **(12)** अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना सम्बन्धित गोलों को ठीक से काला करके सही-सही भरें जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सकें। OMR Answer Sheet में गोलों को काला करके दी गई सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ह्वाइटनर, ब्लेड, पिन अथवा रबर आदि का भी प्रयोग न किया जाये। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और उक्त के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। **(13)** वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में मा0 आयोग के निर्णय के क्रम में प्रयुक्त होने वाली उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगी, जिसमें प्रथम प्रति मूल प्रति-गुलाबी, द्वितीय प्रति संरक्षित प्रति-हरी तथा तीसरी प्रति अभ्यर्थी प्रति-नीली होगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् OMR Answer Sheet की मूल प्रति तथा संरक्षित प्रति अंतरीक्षक जमा कर लेंगे एवं तीसरी प्रति (अभ्यर्थी प्रति-नीली) अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेंगे। **(14)** परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी:-
1. प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये एक गलत उत्तर के लिये प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।
2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह दण्ड दिया जाएगा।
3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिये कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।
(15) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे। **(16)** आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा परीक्षा के किसी स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ/रियायत न लिया गया हो। **(17)** जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते हैं वे अभ्यर्थी अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं, अतः उन अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक नहीं दिये जायेंगे। **(18)** यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूटरचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिये प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

सामान्य अनुदेश

1- अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

2- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और इसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3- आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट-1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट/कुशल खिलाड़ियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

4- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभ्यर्थियों को पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

5- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियां (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या- 453/79-बी-1-15-1(का) 14-2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6- यदि अभ्यर्थी को ऑन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बाक्स' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

7-आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिशिष्ट-1 पर, उपलब्ध है। इसी प्रकार परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:

At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. in case the candidate opts to disagree, the application will be dropped and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/department name and post name

Personnel Details from OTR

This section shows information about candidate personnel details i.e. OTR Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges, Skilled Player, Outstanding Player of U.P., Debarred candidate.

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details

Declaration segment

At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in O.T.R. if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website https://uppsc.up.nic.in

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

:- NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS

•All Notification/Advertisements

:- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION

•Candidate Registration

•Fee Deposition /Reconciliation

•Submit Application Form

•Modify Submitted Application

•Candidate Dashboard (OTR Based)

:- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION

• Double Verification mode

• View Application Status

• Download Admit Card

• Print Duplicate Registration Slip

• Print Detailed Application Form

• List of Applications Having ANY Objections

•View Answer Key

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट-1	
उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र	
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।	
श्री/श्रीमती/कुमारीतथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।	
स्थान	हस्ताक्षर.....
दिनांक	पूरा नाम.....

मुहर

पद नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/सुपुत्री श्री..... निवासी ग्रामतहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य कीपिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक पूरा नाम

मुहर पद नाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र- I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पति/पुत्री श्री.....ग्राम/कस्बा..... पोस्ट ऑफिस थाना तहसील जिला राज्य..... पिन कोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लेट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

हस्ताक्षर(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

आवेदक का पासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

(प्रपत्र- II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना ब्लाक तहसील जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ:-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है:-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा

दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

स्थान :- आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

दिनांक:-

उ0प्र0 के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रमाण-पत्र (दिव्यांगजन प्रारूप)

Form-II

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. Date:

This is to certify that I have carefully examined

Shri/Smt./Kum. _____son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____ registration No. _____ permanent resident of House No. _____

Ward/Village/Street _____ Post office _____ District _____ State _____.

whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

● Locomotor Disability

● Dwarfism

● Blindness

(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his/her case is _____

© he/she has _____% (in figure)_____percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her_____ (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/ blindness in relation to his/her_____ (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document

Date of Issue

Details of authority Issuing certificate

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr.....) (Dr.....) (Dr.....)

Member Member Chairperson

Medical Board Medical Board Medical Board

with seal with seal with seal

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-III

Certificate of Disability

(In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. Date:

This is to certify that we have carefully examined

Shri/Smt./Kum. _____son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth (DD/MM/YY) _____age_____ years, male/ female _____Registration No. _____ permanent resident of House No. _____

Ward/Village/ Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.

Disability

Affected part of body

Diagno sis

Permanent physical impairment/ mental disability (in%)

1. Locomotor disability

2. Muscular Dystrophy

3. Leprosy cured

4. Dwarfism

5. Cerebral Palsy

6. Acid attack Victim

7. Low Vision

8. Blindness

9. Deaf

10. Hard of Hearing

11. Speech and Language disability

12. Intellectual Disability

13. Specific Learning Disability

14. Autism Spectrum Disorder

15. Mental illness

16. Chronic Neurological Conditions

17. Multiple sclerosis

18. Parkinson's disease

19. Haemophilia

20. Thalassemia

21. Sickle Cell disease

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-

In figures.....percent.

In words.....percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD) (MM) (YY)

@ - e.g. Left/right/both arms/legs

- e.g. Single eye

£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document

Date of Issue

Details of authority Issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member

Name and Seal of Member

Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-IV

Certificate of Disability

(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. Date:

This is to certify that I have carefully examined

Shri/Smt./Kum. _____son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth (DD/MM/ YY) _____ age_____ years, male/ female_____Registration No._____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/ Street_____Post Office_____District_____ State_____, whose photograph is affixed above and satisfied that he/she is a case of disability.

His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

Page-3

<table><tr><td>S. N.</td><td>Disability</td><td>Affected part of body</td><td>Diagnosis</td><td>Permanent physical impairment/ mental disability (in%)</td></tr><tr><td>1.</td><td>Locomotor disability</td><td>@</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Muscular Dystrophy</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Leprosy cured</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Cerebral Palsy</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>Acid attack Victim</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Low Vision</td><td>#</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td>Deaf</td><td>£</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8.</td><td>Hard of Hearing</td><td>£</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9.</td><td>Speech and Language disability</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10.</td><td>Intellectual Disability</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11.</td><td>Specific Learning Disability</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12.</td><td>Autism Spectrum Disorder</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13.</td><td>Mental illness</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14.</td><td>Chronic Neurological Conditions</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15.</td><td>Multiple sclerosis</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16.</td><td>Parkinson's disease</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17.</td><td>Haemophilia</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18.</td><td>Thalassemia</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19.</td><td>Sickle Cell disease</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (Please strike out the disabilities which are not applicable) 2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. 3. Reassessment of disability is:- (i) not necessary, or (ii) is recommended/after.....years.....months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY)..... @ - e.g. Left/right/both arms/legs # - e.g. Single eye/both eyes £ - e.g. Left/Right/both ears 4. Signature and seal of the Medical Authority. <table><tr><th>Name and Seal of Member</th><th>Name and Seal of Member</th><th>Name and Seal of the Chairperson</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी.....ग्राम..... तहसीलनगर..... जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/ कुमारी (आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं। स्थान: हस्ताक्षर दिनांक: पूरा नाम मुहर जिलाधिकारी..... सील..... कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्रारूप -1 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर	S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)	1.	Locomotor disability	@			2.	Muscular Dystrophy				3.	Leprosy cured				4.	Cerebral Palsy				5.	Acid attack Victim				6.	Low Vision	#			7.	Deaf	£			8.	Hard of Hearing	£			9.	Speech and Language disability				10.	Intellectual Disability				11.	Specific Learning Disability				12.	Autism Spectrum Disorder				13.	Mental illness				14.	Chronic Neurological Conditions				15.	Multiple sclerosis				16.	Parkinson's disease				17.	Haemophilia				18.	Thalassemia				19.	Sickle Cell disease				Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson				दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप - 2 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) (सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीयमें (क्रीड़ा/खेल- कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम पता मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप - 3 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) विश्वविद्यालय का नामराज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप - 4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश .. राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक नाम पद संस्था का नाम मुहर नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा। परिशिष्ट-2 कम्प्यूटर सहायक पद पर चयन हेतु होने वाली परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम प्रश्नगत परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जायेगी। प्रथम चरण लिखित परीक्षा में एक प्रश्नपत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकारक बहुविकल्पीय होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 01 घण्टा 30 मिनट होगी। प्रश्न पत्र में कुल-100 प्रश्न होंगे तथा पूर्णांक 100 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे। उक्त परीक्षा के आधार पर कुल रिक्त पदों का 10 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर हिन्दी टंकण	(कम्प्यूटर पर) परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जायेगा। द्वितीय चरण में कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण परीक्षा होगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। हिन्दी टंकण की अवधि 05 मिनट होगी। हिन्दी टंकण परीक्षा में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। (केवल ऐसे अभ्यर्थियों को चयन के लिए विचार किया जायेगा जिन्होंने हिन्दी टंकण परीक्षा में न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो)। अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता का निर्धारण मात्र लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। परीक्षा योजना <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>भाग/विषय</th><th>प्रश्नों की संख्या</th><th>निर्धारित अंक</th><th>समयावधि</th></tr><tr><td>1.</td><td>(अ) सामान्य हिन्दी</td><td>25</td><td>25</td><td rowspan="4">01 घण्टा 30 मिनट</td></tr><tr><td>2.</td><td>(ब) सामान्य बुद्धि परीक्षण</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>3.</td><td>(स) सामान्य ज्ञान</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>4.</td><td>(द) कम्प्यूटर ज्ञान</td><td>25</td><td>25</td></tr></table> पाठ्यक्रम भाग-अ-सामान्य हिन्दी (i) सामान्य वार्तालाप में प्रयोग किये जाने वाले हिन्दी के शब्दों एवं मुहावरों का ज्ञान। (ii) सामान्यतः कार्य में प्रयोग होने वाले तकनीकी हिन्दी शब्दों का ज्ञान। (iii) अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। (iv) हिन्दी भाषा लेखन योग्यता भाग-ब-सामान्य बुद्धि परीक्षण (i) Mathematical ability (ii) Graphical and pattern analysis ability (iii) Reasoning ability (iv) Data Comparison and decision making भाग-स-सामान्य ज्ञान (i) General Science: Physics, Chemistry, Mathematics, Agriculture, Pharmacy, Botany, Zoology etc. (ii) Preliminary Economics: Growth rates, GDP, GNP etc. (iii) Social Science: Constitution, Law related issues, Indian History, Geography etc. (iv) Information Technology and Communication infrastructure etc. (v) Space Science: Satellite launch etc. भाग-द-कम्प्यूटर ज्ञान (i) Operating System: Windows, Linux, Unix (ii) Computer Languages: C, C++ (iii) Document Handling: Files Formats, Merging, Editing and Various other documents Processing, Power Point, PDF etc. (iv) Data base Handling: MS-Access, Spreadsheets, Simple Database preparation. (v) Internet and E-mails: w.w.w., Popular Websites, Web surfing, Email Preparation, SPAM emails etc. (vi) Malwares and Virus: Common available Virus and Malwares and their removal. सचिव	क्र. सं.	भाग/विषय	प्रश्नों की संख्या	निर्धारित अंक	समयावधि	1.	(अ) सामान्य हिन्दी	25	25	01 घण्टा 30 मिनट	2.	(ब) सामान्य बुद्धि परीक्षण	25	25	3.	(स) सामान्य ज्ञान	25	25	4.	(द) कम्प्यूटर ज्ञान	25	25
S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)																																																																																																																														
1.	Locomotor disability	@																																																																																																																																
2.	Muscular Dystrophy																																																																																																																																	
3.	Leprosy cured																																																																																																																																	
4.	Cerebral Palsy																																																																																																																																	
5.	Acid attack Victim																																																																																																																																	
6.	Low Vision	#																																																																																																																																
7.	Deaf	£																																																																																																																																
8.	Hard of Hearing	£																																																																																																																																
9.	Speech and Language disability																																																																																																																																	
10.	Intellectual Disability																																																																																																																																	
11.	Specific Learning Disability																																																																																																																																	
12.	Autism Spectrum Disorder																																																																																																																																	
13.	Mental illness																																																																																																																																	
14.	Chronic Neurological Conditions																																																																																																																																	
15.	Multiple sclerosis																																																																																																																																	
16.	Parkinson's disease																																																																																																																																	
17.	Haemophilia																																																																																																																																	
18.	Thalassemia																																																																																																																																	
19.	Sickle Cell disease																																																																																																																																	
Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson																																																																																																																																
क्र. सं.	भाग/विषय	प्रश्नों की संख्या	निर्धारित अंक	समयावधि																																																																																																																														
1.	(अ) सामान्य हिन्दी	25	25	01 घण्टा 30 मिनट																																																																																																																														
2.	(ब) सामान्य बुद्धि परीक्षण	25	25																																																																																																																															
3.	(स) सामान्य ज्ञान	25	25																																																																																																																															
4.	(द) कम्प्यूटर ज्ञान	25	25																																																																																																																															